

विधानसभा तारिखित प्रश्न क्रमांक 888
माननीय सदस्य श्रीमती जे.ए. शेरिफ सिंह [क. 888]
सदन से उतर देने का दिनांक: 04/08/2025

[4/8/2025]

प्रश्न क्रमांक - 11

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ
जिला टीकमगढ़(म.प्र.)

क्रमांक/स्था0/2023/ 72

टीकमगढ़, दिनांक 31-1-23

आदेश

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था0/04/2022/2616 भोपाल दिनांक 29.11.2022 के अनुसार कर्मचारियों को कॉलम नं. 6 में दर्शाये अनुसार वार्धक्य आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप मूल भूत नियम 56 (एक) उप नियम (2) के अंतर्गत कॉलम नम्बर 06 में दर्शाये दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्त किया जाना है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय के श्री नरेन्द्र सिंह राय उप अंकेक्षक को आदेश के क्रम में क्रमांक 02 पर अंकित है अतः श्री नरेन्द्र सिंह राय उप अंकेक्षक पदस्थी सहायक आयुक्त (अंके0) सहकारी संस्थाएँ जिला टीकमगढ़ को आज दिनांक 31.01.2023 (अपरान्ह) को सेवानिवृत्त एवं भारमुक्त किया जाता है।

उप आयुक्त सहकारिता

एवं उप पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ जिला टीकमगढ़

पृ0क्रमांक/स्था0/2023/ 72
प्रतिलिपि :-

टीकमगढ़, दिनांक 31-1-23

1. सचिव म0प्र0 शासन सहकारिता विभाग भोपाल म0प्र0।
2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म0प्र0 भोपाल।
3. महालेखाकार ग्वालियर (म0प्र0)।
4. संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग सागर (म0प्र0)
5. जिला कोषालय अधिकारी/पेंशन अधिकारी टीकमगढ़ (म0प्र0)।
6. श्री नरेन्द्र सिंह राय उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके0) सहकारिता जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. कार्यालयीन स्थापना कक्ष/लेखा कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
राज्य पदेन शासन,
सहकारिता विभाग,

उप आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

उप आयुक्त सहकारिता

एवं उप पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ जिला टीकमगढ़